राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)

क्रमांकःराजस्व / 2022 / 555 दिनांक 30.06.22

तहसीलदार...बैजूपाडा
दौसा (राज.)।

विषयः– उनवानी प्रकरण संख्या 12/22 (विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये रघुवीर बनाम सरकार में पालना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– निर्णय आदेशिका दिनांक 30.06.22 की पालना में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक संदर्भ में लेख है कि उनवानी प्रकरण संख्या 12/22 (विविध) उनवान रघुवीर बनाम राज सरकार जरिये IRR दिनांक 30.06.21 में डिकी/ निर्णय की प्रतिलिपी संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में प्रासांगिक प्रतिलिपी निर्णय अनुसार पालना कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा(राज.)

प्रकरण संख्या – 12/22 **पीठासीन अधिकारी – धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. रघुवीर पुत्र रामखिलाडी मीना जाति मीना निवासी ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

बनाम

————————(प्रार्थीगण)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा राज.
2. विनोद पुत्र चिरंजी
3. कैलाश पुत्र चिरंजी
4. छोटी पत्नी चिरंजी

समस्त जाति मीना निवासी ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

———————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री राहुल गुप्ता।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय **दिनांक –30.06.2022**

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके **ग्राम ढिगारिया कपूर पटवार मण्डल ढिगारियाभीम भू.अ.नि. गोलाडा तहसील बैजूपाडा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खतौनी संख्या नई पुरानी 2 के ससरा नम्बर 1447/135 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं0 1449/137 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर नं0 1451/138 रकबा 0.04 है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि** स्थित हैं। जिसके पडोसी काश्तकारान अप्रार्थीगण 02 ला0 04 भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो आये दिन खेतों के मध्य बनी डोल/मेड को तोडते रहते है। प्रार्थी खोतदारों से आये दिन विवाद को देखते हुए दिनांक 14.05.2022 को हल्का पटवारी ढिगारिया भीम व गोलाडा के द्वारा सीमाज्ञान करवा दिया गया। उसके उपरान्त भी आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायालय मे दिनांक 30.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 30.05.2022 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.

होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों व तहसीलदार बैजूपाडा के आदेश क्रमांक 03 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा गठित टीम द्वारा किया गया सीमाज्ञान की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके वाके **ग्राम ढिगारिया कपूर पटवार मण्डल ढिगारियाभीम भू.अ.नि. गोलाडा तहसील बैजूपाडा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खतौनी संख्या नई पुरानी 2 के ससरा नम्बर 1447/135 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं0 1449/137 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर नं0 1451/138 रकबा 0.04 है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर भूमि** की पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक गोलाडा को रूपये 1500 /– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बैजूपाडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह ,RAS)
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)